मि. सं. 11013/2/2020-हिंदी

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

(राजभाषा प्रभाग)

.....

शास्त्री भवन नई दिल्ली,

दिनांक : 10 नवंबर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

संघ सरकार की राजभाषा नीति को मंत्रालय और मंत्रालय के संबद्ध, अधीनस्थ तथा स्वायत्त संगठनों आदि में कार्यान्वित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना अपेक्षित है। इस संबंध में यह संज्ञान में आया है कि मंत्रालय के संबद्ध, अधीनस्थ तथा स्वायत्त संस्थाओं से प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् कुछ कार्यालयों से राजभाषा हिंदी में हो रही प्रगति की रिपोर्ट मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग को प्राप्त नहीं हो रही है और कुछ कार्यालयों से तिमाही रिपोर्टें विलंब से प्राप्त हो रही है। इसलिए उन कार्यालयों की राजभाषा हिंदी में हो रही प्रगति की समीक्षा नहीं हो पा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के समय प्रश्नावली में संबंधित कार्यालयों की समीक्षा को जोड़ना भी आवश्यक है।

अत: यह बहुत ही विशिष्ट है कि प्रत्येक कार्यालय की राजभाषा हिंदी से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट, तिमाही की समाप्ति के पश्चात् नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विधिवत रूप से पूर्ण कर 10 तारीख तक मंत्रालय को भेजना सुनिश्चित करें :-

1. 01 अप्रैल से 30 जून - जुलाई में
2. 01 जुलाई से 30 सितंबर - अक्तूबर में
3. 01 अक्तूबर से 31 दिसंबर - जनवरी में
4. 01 जनवरी से 31 मार्च - अप्रैल में

10/11/2020

(संजुक्ता मुदगल)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

वितरण :

मंत्रालय के सभी संबद्ध, अधीनस्थ तथा स्वायत्त संगठनों के कार्यालय प्रमुख।